



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938

No. 731]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/ CHAITRA 2, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

का.आ. 1201(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 912 (अ), तारीख 21.04.2010 द्वारा रारा-3 के 539.500 कि.मी. से 440.000 कि.मी. तक (वडापे-गोंडे सेक्शन) के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क उद्ग्रहीत एवं प्रतिधारित करने हेतु रियायतग्राही को प्राधिकृत किया था।

और यतः, मूल अधिसूचना का.आ. सं. 912 (अ), तारीख 21.04.2010 में संशोधन का.आ.सं. 1788 (अ), तारीख 01.07.2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा रारा-3 के 539.500 कि.मी. से 440.000 कि.मी. (वडापे-गोंडे सेक्शन) तक के खण्ड के लिए शुल्क को परियोजना के सम्पूर्ण खण्ड हेतु घोटी के पास एक ही स्थान, 455.485 कि.मी. पर संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु रियायतग्राही को प्राधिकृत किया गया था।

अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अधिसूचना का.आ.सं. 1788 (अ), तारीख 01.07.2015 को निरस्त करती है।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/508/09-10/सीओ/जीसी नासिक(वडापे-गोंडे)बीओटी]

लीना नन्दन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2016

S.O. 1201(E).— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 912(E) dated 21.04.2010 authorized the Concessionaire to collect and retain fees from the mechanical vehicles for the section from km. 539.500 to km. 440.000 of NH-3 (Vadape – Gonde section).

And whereas, an amendment to the original notification S.O. No. 912(E) dated 21.04.2010 was published vide S.O. No. 1788(E) dated 01.07.2015 authorizing the Concessionaire to collect and retain fees for the section from km. 539.500 to km. 440.000 of NH-3 (Vadape – Gonde section) at one location, km. 455.485 near Ghoti for the total Project stretch.

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government hereby rescinds the notification S.O. No. 1788(E), dated 01.07.2015.

[F. No. NHAI/13013/508/09-10/CO/GC Nashik (Vadape-Gonde) BOT]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.